छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांकः 127/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 21/03/2020

प्रति,

1. **समस्त विभागों के भारसाधक सचिव,**
2. **समस्त संभागायुक्त**
3. **समस्त कलेक्टर**
4. **समस्त विभागाध्यक्ष**

विषयः—नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अत्यावश्यक आपातकालीन सेवाओं से संबंधित शासकीय कार्यालय छोड़कर समस्त शासकीय कार्यालयों को बंद किए जाने विषयक।

संदर्भः— शासन का आदेश क्रमांकः 123/स.सा.प्र.वि/2020, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 20/03/2020

——00——

राज्य शासन द्वारा संदर्भित आदेश के माध्यम से पूर्व में शासकीय कार्यालयों में नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में सोशल डिस्टेंस बनाये रखने के बारे में दिशा निर्देश जारी किये गये थे। उक्त आदेश को संशोधित करते हुए राज्य शासन द्वारा यह निर्देश दिये जाते हैं कि 31 मार्च 2020 तक राज्य स्तर पर समस्त भारसाधक सचिव एवं विभागाध्यक्ष अपने निवास पर आवश्यक कार्यालयीन व्यवस्था करते हुए शासकीय कार्य का संपादन करें। विभाग/विभागाध्यक्ष कार्यालय के अन्य अधिकारी—कर्मचारीगण को न्युनतम प्रशासकीय आवश्यकता अनुरूप कार्य में संयोजित किया जाए।

2/ संभाग स्तर, जिला स्तर पर स्थित शासकीय कार्यालयों में से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने में शामिल विभागों जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, एवं कानुन व्यवस्था बनाये रखने में सम्मिलित विभागों से संबंधित शासकीय कार्यालय जैसे संभागायुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसील, पुलिस थाने/चौकी, फायरब्रिगेड, जेल इत्यादि, तथा बिजली व्यवस्था, पेयजल प्रदाय, साफ—सफाई एवं स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य अत्यावश्यक एवं आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर शेष कार्यालयों को 31 मार्च तक संचालित न किया जाये।

3/ संचालित कार्यालयों में जनसाधारण को न आने के लिए प्रेरित किया जायें।

4/ अधिकारी — कर्मचारीगण को निवास से सदैव मोबाईल / टेलिफोन एवं अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यम से संपर्क में बने रहने के लिए निर्देशित किया जाये ताकि आवश्यकता होने पर कार्यालय में बुलाया जा सके।

5/ संचालित कार्यालयों में उपस्थित होने वाले अधिकारी — कर्मचारियों के लिए उपस्थित होने एवं कार्यालय से वापस जाने के समय में हर पाली में न्यूनतम 4 घंटे का अंतर रखा जाये ताकि भीड़—भाड़ में संक्रमण की संभावना कम की जा सकें।

Scanned with CamScanner

6/ कार्यरत शासकीय अमले को निवास से कार्यालय तक स्वयं के आवागमन के साधन के माध्यम से आने जाने के लिए निर्देशित किया जाये।

7/ यह निर्देश विधानसभा पर लागू नहीं होगें।

8/ इन निर्देशो के संबंध में सभी अधीनस्थ कार्यालयों एवं संबंधित अधिकारी – कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए।

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
नवा रायपुर,अटल नगर, दिनांक 21/03/2020

कमांकः 128 /स.सा.प्र.वि/2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर,
2. अपर मुख्य सचिव, मान. मुख्यमंत्री जी, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा सचिवालय, जीरो पाईंट रायपुर,
4. विशेष सहायक/निज सहायक, समस्त मान. मंत्रीगण, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,
6. रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर,
7. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
8. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर,
9. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग, रायपुर,
10. सचिव, राज्य योजना आयोग/राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग/राज्य मानव अधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/राज्य सूचना आयोग/ राज्य महिला आयोग/राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग/राज्य अनुसूचित जाति आयोग/राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग/राज्य अल्पसंख्यक आयोग/राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग/ राज्य युवा आयोग/राज्य विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर,
11. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

Scanned with CamScanner